प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

संख्याः–5/534 /2025–5/46/2021–SBM-G II लखनऊ दिनांकः 06 जून, 2025

विषयः–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट (PWMU) निर्माण हेतु जनपदों का लक्ष्य निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन कार्यालय के पत्र संख्याः–5/05/2024–5/46/2021–SBM-G II दिनांक 03 जनवरी, 2025, पत्र संख्याः–5/1873/2024–5/46/2021–SBM-G II दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 एवं शासनादेश संख्या–4002/33–3–2022 दिनांक 24 नवम्बर, 2022 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–S-16011/2/2022-SBM-DDWS दिनांक 03 जनवरी, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों के प्लास्टिक अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। आप अवगत ही है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 द्वारा 31 दिसम्बर, 2022 से 120 माईक्रान से कम प्लास्टिक की बनी वस्तुएँ प्रतिबंधित कर दी गयी है। प्रतिबंधित अपशिष्ट प्लास्टिक जैसे–कैरीबैग, वाटर बोतल, शैम्पू बोतल, प्लास्टिक पैकजिंग आदि के प्रबंधन के लिये भारत सरकार द्वारा विकास खण्ड स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट(PWMU) को निर्मित कराये जाने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जिसके लिये योजना मद से प्रति विकास खण्ड रू0 16.00 लाख की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या–S-11011/2/2020-SBM-DDWS दिनांक 17 जनवरी, 2022 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि **"The savings, if any, with respect to the prescribed funding norms for a block for setting up to PWMU can be used in another block, if required. Also, based on requirement, PWMUs can be set up in cluster mode for more than one block within the overall funds availability of such blocks."**।

वर्तमान में जनपदों द्वारा उनकी मांग के अनुरूप प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट के निर्माण के लिए विकास खण्डवार धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। अधिकांश जनपदों में निर्मित कराये गये/निर्माणाधीन PWMU से उनके निकट के विकास खण्डों को आवश्यकता के अनुसार मैप कर प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्तारण की व्यवस्था बनाई गई है। जनपदों के PWMU निर्माण की स्थिति पत्र के साथ संलग्न है। भारत सरकार के साथ उच्च स्तर पर हुई वार्ता के अनुपालन में निर्णय लिया गया है कि जनपद के समस्त ग्रामों की पूर्ण कवरेज के दृष्टिगत निर्मित कराये जा चुके/निर्माणाधीन PWMU के अतिरिक्त **जनपद को वित्तीय वर्ष 2025–26 में PWMU यूनिट निर्माण हेतु लक्ष्य का निर्धारण किया जा रहा है। जनपदों द्वारा 03 विकास खण्ड की सभी ग्राम पंचायतों पर एक यूनिट निर्माण की आवश्यकता मानते हुए जनपदवार लक्ष्य का निर्धारण किया जा रहा है(संलग्नक–1)।** जनपद यूनिट निर्माण में भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। पूर्व में पत्र संख्याः–5/1873/2024–5/46/2021–SBM-G II दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 द्वारा निर्देशित किया गया था **(संलग्नक–2)** कि प्रत्येक 3 विकास खण्ड पर कम से कम 1 यूनिट का निर्माण किया जाना आवश्यक है जिससे कि 20 से 25 किलोमीटर की परिधि में आने वाले विकास खण्डों से सम्बन्धित समस्त ग्राम पंचायतों को स्थापित PWMU से मैप कर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित हो रहे प्लास्टिक अपशिष्ट को निस्तारित/प्रबन्धन किया जाना है। जिसके लिये भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.01.2022 को जारी संशोधन/नवीन निर्देश **(संलग्नक–3)** का

अनुकरण जनपद द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। जिसमें एक से अधिक विकास खण्ड को जोड़कर एक ही Integrated (एकीकृत) यूनिट बनायी जा सकती है। जिसमें जोड़े गये विकास खण्ड के लिय मात्राकृत रू0 18.00 लाख प्रति विकास खण्ड को एक साथ सम्मिलित कर एक बड़ी Integrated (एकीकृत) यूनिट स्थापित की जा सकती है। जिसका विस्तृत विवरण पत्र संख्या–5/05/2024–5/46/2021–SBM-G II दिनांक 03 जनवरी, 2025 द्वारा पूर्व में जारी किया जा चुका है। **(संलग्नक–4)**

जनपद द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट(PWMU) निर्माण हेतु मांग से पूर्व निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है–

- PWM यूनिट मांग किये जाने से पूर्व ही जारी शासनादेश संख्या–4002/33–3–2022 दिनांक 24 नवम्बर, 2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कम से कम 1500 वर्गफिट भूमि/स्थल का चयन कर लिया जाये तथा चिन्हित स्थान का चिन्हांकन भी करा लिया जाए।
- ऐसी भूमि/स्थल का चयन किया जाये जो की गैर विवादित हो एवं सम्पर्क मार्ग से जुड़ा हो जिससे कि गाड़ियों का आवागमन सहज रहे।
- PWMU निर्माण हेतु ऐसे स्थल का चयन किया जाये जिससे कि यूनिट निर्माण उपरान्त मैप किये जाने वाले अन्य विकास खण्डो की दूरी कम व पहुंच आसान हो।

निर्माण सम्बन्धित आवश्यक दिशा–निर्देश, वित्तीय व्यवस्था, शेड डिजाइन व मशीनो के Specification पत्र के साथ संलग्न है।(संलग्नक–5)

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में उत्सर्जित हो रहे अपशिष्ट प्लास्टिक का आंकलन करवाते हुए आवश्यकतानुसार Integrated (एकीकृत) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट (PWMU) निर्माण हेतु राज्य स्तर से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार जून, 2025 माह में ही मांग कर ली जाये, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित हो रहे प्लास्टिक अपशिष्ट के लिये भारत सरकार द्वारा जारी Plastic Waste Mangement Amendment Rules 2021 का पालन कराते हुए विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। तदनुसार कार्यवाही कराने हेतु समस्त सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अमित कुमार सिंह)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिनिम्नलिखितकोसूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ग्राम पंचायतों से उत्सर्जित हो रहे अपशिष्ट प्लास्टिक के आंकलन अनुसार पी0डब्लू0एम0यू0 की मांग सुनिश्चित कर लें।

(राघवेन्द्र कुमार द्विवेदी)
उपनिदेशक (पं0)/नोडल अधिकारी,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

अनुकरण जनपद द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। जिसमें एक से अधिक विकास खण्ड को जोड़कर एक ही Integrated (एकीकृत) यूनिट बनायी जा सकती है। जिसमें जोड़े गये विकास खण्ड के लिय मात्राकृत रू0 16.00 लाख प्रति विकास खण्ड को एक साथ सम्मिलित कर एक बड़ी Integrated (एकीकृत) यूनिट स्थापित की जा सकती है। जिसका विस्तृत विवरण पत्र संख्याः–5/05/2024–5/46/2021–SBM-G II दिनांक 03 जनवरी, 2025 द्वारा पूर्व में जारी किया जा चुका है। **(संलग्नक–4)**

जनपद द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट(PWMU) निर्माण हेतु मांग से पूर्व निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है–

- PWM यूनिट मांग किये जाने से पूर्व ही जारी शासनादेश संख्या–4002/33–3–2022 दिनांक 24 नवम्बर, 2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कम से कम 1500 वर्गफिट भूमि/स्थल का चयन कर लिया जाये तथा चिन्हित स्थान का चिन्हाकंन भी करा लिया जाए।
- ऐसी भूमि/स्थल का चयन किया जाये जो की गैर विवादित हो एवं सम्पर्क मार्ग से जुड़ा हो जिससे कि गाड़ियों का आवागमन सहज रहे।
- PWMU निर्माण हेतु ऐसे स्थल का चयन किया जाये जिससे कि यूनिट निर्माण उपरान्त मैप किये जाने वाले अन्य विकास खण्डो की दूरी कम व पहुंच आसान हो।

निर्माण सम्बन्धित आवश्यक दिशा–निर्देश, वित्तीय व्यवस्था, शेड डिजाइन व मशीनों के Specification पत्र के साथ संलग्न है।(संलग्नक–5)

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में उत्सर्जित हो रहे अपशिष्ट प्लास्टिक का आंकलन करवाते हुए आवश्यकतानुसार Integrated (एकीकृत) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट (PWMU) निर्माण हेतु राज्य स्तर से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार जून, 2025 माह में ही मांग कर ली जाये, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित हो रहे प्लास्टिक अपशिष्ट के लिये भारत सरकार द्वारा जारी Plastic Waste Mangement Amendment Rules 2021 का पालन कराते हुए विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। तद्नुसार कार्यवाही कराने हेतु समस्त सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अमित कुमार सिंह)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिनिम्नलिखितकोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ग्राम पंचायतों से उत्सर्जित हो रहे अपशिष्ट प्लास्टिक के आंकलन अनुसार पी0डब्लू0एम0यू0 की मांग सुनिश्चित कर ले।

(राघवेन्द्र कुमार द्विवेदी)
उपनिदेशक (पं0)/नोडल अधिकारी,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) यूनिट लक्ष्य निर्धारण

Sr. No	जनपद का नाम	Total blocks	जिले को भेजी गयी PWMU यूनिट की संख्या	PWMU से लिंक किये जाने वाले विकास खंड की संख्या	PWMU से आच्छादित विकास खंड की संख्या	PWMU आच्छादन हेतु अवशेष विकास खंड की संख्या	वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु 3 विकास खंड हेतु 1 PWMU यूनिट निर्माण का जनपदवार लक्ष्य	अतिरिक्त यूनिट का लक्ष्य विकास खंड की अधिकता के आधार पर किया गया है	वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु यूनिट निर्माण का जनपदवार कुल लक्ष्य
1	2	3	4	5	6(2+3)	7(3-6)	8	9	10
1	PRAYAGRAJ	23	2	4	6	17	6	1	7
2	AZAMGARH	22	2	4	6	16	5	1	6
3	JAUNPUR	21	1	2	3	18	6	1	7
4	GORAKHPUR	20	3	6	9	11	4	0	4
5	HARDOI	19	1	2	3	16	5	1	6
6	SITAPUR	19	2	4	6	13	4	1	5
7	RAEBARELI	18	2	4	6	12	4	0	4
8	BALLIA	17	2	4	6	11	4	0	4
9	PRATAPGARH	17	3	6	9	8	3	0	3
10	BULANDSAHAR	16	4	8	12	4	1	0	1
11	DEORIA	16	1	2	3	13	4	1	5
12	GHAZIPUR	16	3	6	9	7	2	0	2
13	GONDA	16	1	2	3	13	4	1	5
14	UNNAO	16	3	6	9	7	2	0	2
15	AGRA	15	2	4	6	9	3	0	3
16	BARABANKI	15	1	2	3	12	4	0	4
17	BAREILLY	15	1	2	3	12	4	0	4
18	BUDAUN	15	1	2	3	12	4	0	4
19	LAKHIMPUR KHIRI	15	5	10	15	0	0	0	0
20	SHAHJAHANPUR	15	3	6	9	6	2	0	2
21	BAHRAICH	14	2	4	6	8	3	0	3
22	BASTI	14	0	0	0	14	5	0	5
23	KUSHINAGAR	14	2	4	6	8	3	0	3
24	SIDDHARTHNAGAR	14	2	4	6	8	3	0	3
25	SULTANPUR	14	2	4	6	8	3	0	3
26	AMETHI	13	2	4	6	7	2	0	2
27	FATEHPUR	13	2	4	6	7	2	0	2
28	ALIGARH	12	2	4	6	6	2	0	2
29	MAHARAJGANJ	12	1	2	3	9	3	0	3
30	MEERUT	12	2	4	6	6	2	0	2
31	MIRZAPUR	12	1	2	3	9	3	0	3
32	AYODHYA	11	1	2	3	8	3	0	3
33	BIJNOR	11	2	4	6	5	2	0	2
34	SAHARANPUR	11	0	0	0	11	4	0	4
35	KANPUR DEHAT	10	1	2	3	7	2	0	2
36	KANPUR NAGAR	10	2	4	6	4	1	0	1
37	MATHURA	10	1	2	3	7	2	0	2
38	SONBHADRA	10	1	2	3	7	2	0	2
39	AMBEDKAR NAGAR	9	1	2	3	6	2	0	2
40	BALRAMPUR	9	2	4	6	3	1	0	1
41	CHANDAULI	9	0	0	0	9	3	0	3
42	FIROZABAD	9	2	4	6	3	1	0	1
43	JALAUN	9	2	4	6	3	1	0	1
44	MAINPURI	9	1	2	3	6	2	0	2
45	MAU	9	2	4	6	3	1	0	1
46	MUZAFFARNAGAR	9	3	6	9	0	0	0	0
47	SANT KABIR NAGAR	9	2	4	6	3	1	0	1
48	BANDA	8	2	4	6	2	1	0	1
49	ETAH	8	2	4	6	2	1	0	1
50	ETAWAH	8	2	4	6	2	1	0	1
51	JHANSI	8	2	4	6	2	1	0	1
52	KANNAUJ	8	2	4	6	2	1	0	1
53	KAUSHAMBI	8	2	4	6	2	1	0	1
54	LUCKNOW	8	1	2	3	5	2	0	2
55	MORADABAD	8	0	0	0	8	3	0	3
56	SAMBHAL	8	1	2	3	5	2	0	2
57	VARANASI	8	3	6	9	-1	0	0	0
58	AURAIYA	7	1	2	3	4	1	0	1
59	FARRUKHABAD	7	2	4	6	1	0	0	0

Sr. No	जनपद का नाम	Total blocks	जिले को भेजी गयी PWMU यूनिट की संख्या	PWMU से लिंकअप किये जाने वाले विकास खंड की संख्या	PWMU से आच्छादित विकास खंड की संख्या	PWMU स्थापना हेतु अवशेष विकास खंड की संख्या	वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु 3 विकास खंड हेतु 1 PWMU यूनिट निर्माण का जनपदवार लक्ष्य	अतिरिक्त यूनिट का लक्ष्य विकास खंड की अधिकता के आधार पर किया गया है	वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु यूनिट निर्माण का जनपदवार कुल लक्ष्य
1	2	3	4	5	6(2+3)	7(3-6)	8	9	10
60	HAMIRPUR	7	1	2	3	4	1	0	1
61	HATHRAS	7	2	4	6	1	0	0	0
62	KASGANJ	7	1	2	3	4	1	0	1
63	PILIBHIT	7	1	2	3	4	1	0	1
64	AMROHA	6	1	2	3	3	1	0	1
65	BAGPAT	6	1	2	3	3	1	0	1
66	BHADOHI	6	1	2	3	3	1	0	1
67	LALITPUR	6	2	4	6	0	0	0	0
68	RAMPUR	6	1	2	3	3	1	0	1
69	CHITRAKOOT	5	1	2	3	2	1	0	1
70	SHAMLI	5	1	2	3	2	1	0	1
71	SHRAVASTI	5	1	2	3	2	1	0	1
72	GHAZIABAD	4	1	2	3	1	0	0	0
73	HAPUR	4	1	2	3	1	0	0	0
74	MAHOBA	4	1	2	3	1	0	0	0
75	G B NAGAR	3	1	2	3	0	0	0	0
	TOTAL	826	122	244	366	460	153	7	160

अनुलग्नक -2

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

संख्याः-5/1873 /2024-5/46/2021-58M-G II लखनऊ दिनांकः 16 दिसम्बर, 2024

विषयः-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट(PWMU) की कवरेज बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 केन्द्रीय मंत्री, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को आयोजित बैठक में हुई चर्चा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन यूनिट(PWMU) का कवरेज बढ़ाया जाना है। अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट(PWMU) से आच्छादित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में राज्य स्तर से निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक 03 विकास खण्ड पर कम से कम 01 यूनिट का निर्माण किया जाना आवश्यक है जिससे कि 20 से 25 किलो मीटर की परिधि में आने वाले सम्बन्धित तीनों विकास खण्डों की समस्त ग्राम पंचायतों को स्थापित PWMU से मैप कर प्लास्टिक अपशिष्ट को निस्तारित किया जा सके। इसके अतिरिक्त जनपद अपनी भौगोलिक स्थिति की आवश्यकता के अनुसार PWMU की मांग को बढ़ा भी सकता है। जिससे कि जनपद में पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों की अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रबंधन हेतु नगरीय क्षेत्र में स्थापित एमआरएफ सेन्टर से मैप किये गये विकास खण्डों को हटा कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट से मैप किया जा सके। यहां यह भी अवगत कराना है कि मेयजल-स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार प्रति विकास खण्ड एक PWMU का निर्माण कराया जाना था।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में उत्सर्जित हो रहे अपशिष्ट प्लास्टिक का आंकलन करवाते हुए आवश्यकतानुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट(PWMU) की मांग कर ली जाये। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित हो रहे प्लास्टिक अपशिष्ट-विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राज कुमार)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।
4. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय के साथ कि ग्रामीण क्षेत्र में उत्सर्जित हो रहे अपशिष्ट प्लास्टिक का आंकलन करवाते हुए संलग्न सूची के अनुसार PWMU की मांग सुनिश्चित कर ले।

(एस0एन0 सिंह)
नोडल अधिकारी,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

संख्या–5/1873/2024–5/46/2021–SBM-G II लखनऊ दिनांक: 16 दिसम्बर, 2024

विषयः–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट(PWMU) की कवरेज बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक माo केन्द्रीय मंत्री, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को आयोजित बैठक में हुई चर्चा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन यूनिट(PWMU) का कवरेज बढ़ाया जाना है। अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट(PWMU) से आच्छादित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में राज्य स्तर से निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक 03 विकास खण्ड पर कम से कम 01 यूनिट का निर्माण किया जाना आवश्यक है जिससे कि 20 से 25 किलो मीटर की परिधि में आने वाले सम्बन्धित तीनों विकास खण्डों की समस्त ग्राम पंचायतों को स्थापित PWMU से मैप कर प्लास्टिक अपशिष्ट को निस्तारित किया जा सके। इसके अतिरिक्त जनपद अपनी भौगोलिक स्थिति की आवश्यकता के अनुसार PWMU की मांग को बढ़ा भी सकता है। जिससे कि जनपद में पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों की अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रबंधन हेतु नगरीय क्षेत्र में स्थापित एमआरएफ सेन्टर से मैप किये गये विकास खण्डों को हटा कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट से मैप किया जा सके। यहां यह भी अवगत कराना है कि पेयजल–स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार प्रति विकास खण्ड एक PWMU का निर्माण कराया जाना था।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में उत्सर्जित हो रहे अपशिष्ट प्लास्टिक का आंकलन करवाते हुए आवश्यकतानुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट(PWMU) की मांग कर ली जाये। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित हो रहे प्लास्टिक अपशिष्ट–विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राज कुमार)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।
4. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय के साथ कि ग्रामीण क्षेत्र में उत्सर्जित हो रहे अपशिष्ट प्लास्टिक का आंकलन करवाते हुए संलग्न सूची के अनुसार PWMU की मांग सुनिश्चित कर ले।

(एस0एन0 सिंह)
नोडल अधिकारी,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

अनुलग्नक-3

No. S-11011/2/2020-SBM-DDWS
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Drinking Water and Sanitation
Swachh Bharat Mission (Grameen)

12th Floor, Pt. Deendayal 'Antyodaya Bhawan'
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi-110 003
Dated 17.01.2022

To

The Addl. Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries,
In-charge of rural sanitation,
All States/UTs

Subject: Swachh Bharat Mission (Grameen) [SBM(G)] Phase-II Guidelines – Amendment to the para 15.1 regarding programme funding provisions in SBM(G) Phase-II

Sir,

I am directed to refer to the SBM(G) Phase-II Operational Guidelines and to convey that para 15.1 of the SBM(G) Phase-II guidelines regarding **funding provisions for Gobardhan and Plastic Waste Management Units have been revised as under:**

"15.1 Programme funding Provisions in SBM(G) Phase II

The various components and approved financial assistance for different components under SBMG Phase-II are as below:

Components		Financial assistance
Incentive for construction of IHHLs ***(BPLs and Identified APLs)***		**Rs.12,000/-** (including provision for water storage facility for handwashing and cleaning to maintain hygiene)
SLWM activities	**Village level SLWM activities**	**Village size** / **Financial support** **Upto 5000 population**: Solid Waste Management: Upto Rs.60 per capita; Greywater Management: Upto Rs.280 per capita **Above 5000 population**: Solid Waste Management: Upto Rs.45 per capita; Greywater Management: Upto Rs.660 per capita **Note-** 1. 30% of this amount will be borne by the GPs from their 15th Finance Commission grants. 2. Each village can utilize a minimum of total Rs. 1 lakh based on their requirements for both solid waste and greywater management. 3. **The savings under Solid Waste Management component, if any, in a village can be used for Grey Water Management in the same village and, similarly, savings under Grey Water Management component, if any, in a village can be used for**

	Plastic Waste Management Unit *(one in each Block)*	Upto Rs.16 lakh per unit **(The savings, if any, with respect to the prescribed funding norms for a block for setting up of PWMU can be used in another block, if required. Also, based on requirement, PWMUs can be set up in cluster mode for more than one block within the overall funds availability of such blocks.)**
District level SLWM activities	**Faecal Sludge Management (FSM)**	Upto Rs.230 per capita
	GOBAR-Dhan Projects	Upto Rs.50 lakh per District **(The savings, if any, with respect to the prescribed funding norms for a district for Gobardhan can be used in another district, if required. Also, based on requirement, Gobardhan units can be taken up in cluster mode for more than one district within the overall funds availability of such districts.)**
Community Sanitary Complex (CSC)		Rs. 3 Lakh Note: 30% of this will be borne by GPs from 15th FC
IEC and Capacity Building		Up to 5% of the total funding for programmatic components (up to 3% to be used at State / District levels and up to 2% at Central level)
Administrative Expenses		Up to 1% of the total funding for programmatic components
Revolving Fund		Up to 5% of Project outlay subject to max. Rs. 1.5 crore per district
Flexi Funds		The States can use flexi funds as per Ministry of Finance guidelines issued in this regard from time to time for innovations / technology options at the State level to meet the local needs and requirements within the overall objective of the Scheme.

State / UT Governments will have the flexibility to provide higher incentive / additional funding from other sources such as 15th Finance Commission grants, MPLAD / MLALAD / CSR funds or through convergence with MGNREGS or other schemes of the State Government or Central Government (other than SBM-G), etc."

2. You are, therefore, requested to bring this to the notice of all the concerned implementing agencies in your State/UT for appropriate action.

3. This is issued with the approval of competent authority.

Yours faithfully,

17/01/2022

(Rampal Singh)
Deputy Secretary to the Government of India
Phone – 011-2436 9654
Email: rampal.singh67@gov.in

Copy to: Mission Directors/State Coordinators, SBM(G), All States/UTs

अनुलग्नक - 4

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्तजिलाधिकारी,
उ0प्र0।

संख्या–5/05 /2024–5/46/2021–SBM-G।लखनऊ दिनांक 03 जनवरी, 2025

विषयः–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था बनाये जाने हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट (PWMU) की अतिरिक्त मांग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन कार्यालय के पत्र संख्याः–5/216/2024–5/46/2021–SBM-Gदिनांक 07 फरवरी, 2024, पत्र संख्या–5/1883/2024–5/46/2021–SBM-G ॥ दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 एवं शासनादेश संख्या–4002/33–3–2022 दिनांक 24 नवम्बर, 2022 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–S-16011/2/2022-SBM-DDWS दिनांक 03 जनवरी, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्राम बनाया जाना एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का समुचित निस्टान किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित हो रही अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रबंधन के लिये भारत सरकार द्वारा विकास खण्ड स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट(पी0डब्लू0एम0यू0) को निर्मित कराये जाने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जिसके लिये योजना मद से प्रति विकास खण्ड रू0 16.00 लाख की व्यवस्था की गई है।इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या–S-11011/2/2020-SBM-DDWSदिनांक 17 जनवरी, 2022 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि **"The savings, if any, with respect to the prescribed funding norms for a block for setting up to PWMU can be used in another block, if required. Also, based on requirement, PWMUs can be set up in cluster mode for more than one block within the overall funds availability of such blocks."**।

वर्तमान में जनपदों द्वारा उनकी मांग के अनुरूप पी0डब्लू0एम0यू0 के निर्माण के लिए विकास खण्डवार धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। अधिकांश जनपदों में निर्मित कराये गये/निर्माणाधीन पी0डब्लू0एम0यू0 से उनके निकट के कतिपय विकास खण्डों को मैप कर प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्तारण की व्यवस्था बनाई गई है। जनपद के पी0डब्लू0एम0यू0 की स्थिति पत्र के साथ संलग्न है। भारत सरकार के साथ उच्च स्तर पर हुई चर्चा के अनुपालन में निर्णय लिया गया है कि पूर्ण कवरेज के दृष्टिगत निर्मित कराये जा चुके/निर्माणाधीन पी0डब्लू0एम0यू0के अतिरिक्त जनपद अपनी आवश्यकता के अनुसार अन्य यूनिट की स्थापना भी कर सकते हैं। जिसके लिये उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.01.2022 को जारी संशोधन/नवीन निर्देश का अनुकरण किया जायेगा। जिसमें एक से अधिक विकास खण्ड को जोड़कर एक ही Intigrated (एकीकृत) यूनिट बनायी जा सकती है जिसमें जोड़े गये विकास खण्ड के लिय मानकृत रू0 16.00 लाख प्रति विकास खण्ड को एक साथ सम्मिलित कर एक बड़ी Intigrated (एकीकृत) यूनिट आवश्यकतानुसार स्थापित की जा सकती है। उदाहरणार्थ– यदि 04 विकास खण्डों को संतृप्त करने की दृष्टि से किसी 01 विकास खण्ड पर पी0डब्लू0एम0यू0 का निर्माण कराया जा रहा हो तो प्रति विकास खण्ड के लिये मानकृत रू0 16.00 लाख X 04 विकास खण्ड, इस प्रकार कुल रू0 64.00 लाख का उपरोक्त योजना मद से इस Intigrated (एकीकृत) यूनिट के निर्माण में किया जा सकता है। इस व्यवस्था को बनाने/संचालन के लिये जनपद द्वारा निम्नलिखित **03 विकल्पों** को अपनाया जा सकता है–

विकल्प 1– जिला स्वच्छता समिति के द्वारा संचालनः–

सर्वप्रथम जिला स्वच्छता समिति द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये आवश्यक यूनिटों की संख्या का आकलन कर लिया जाये। जिसमें पूर्व से निर्मित/निर्माणाधीन यूनिट एवं उनसे कवर किये जाने वाले क्षेत्र का आकलन भी किया जाये। इसके पश्चात आवश्यकतानुसार नवीन Intigrated (एकीकृत) यूनिट/यूनिटों का निर्धारण किया जाये तथा इन Intigrated (एकीकृत) यूनिटों से मैप किये जाने वाले विकास खण्डों को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त बताई गई व्यवस्था के अनुसार योजना मद की धनराशि की मांग की जा सकती है। इन Intigrated (एकीकृत) यूनिट/यूनिटों का संचालन जिला स्वच्छता समिति के द्वारा कराया जायेगा, जिसके लिये निम्न प्रकार से व्यवस्था बनायी जा सकती है–

i–पी0डब्लू0एम0यू0से मैप किये गये प्रत्येक विकास खण्ड में एकत्रित स्थान को चिन्हित कर एक वेयर हाउस (प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र) की स्थापना की जावेगी, जिसके लिये सम्बन्धित विकास खण्ड की किसी बड़ी ग्राम पंचायत के आर0आर0सी0 को भी चिन्हित किया जा सकता है अथवा उस विकास खण्ड या उसकी किसीग्राम पंचायत की पूर्व से निर्मित कोई बिल्डिंग/शेड/निष्प्रयोज्य स्थान की मरम्मत,

रंग–रोगन आदि कराकर भी वेयर हाउस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस कार्य के लिये आवश्यक धनराशि की व्यवस्था Intigrated (एकीकृत) पी0डब्लू0एम0यू0 के लिये योजना मद से उपलब्ध कराई गई धनराशि में से अवशेष धनराशि से (यदि बच रही हो) अन्यथा सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के केन्द्रीय वित्त की टाइड ग्राण्ट किया जायेगा।

ii–प्रत्येक वेयर हाउस पर सम्बन्धित विकास खण्ड की सभी ग्राम पंचायतों के आर0आर0सी0 से प्लास्टिक अपशिष्ट को लाने एवं उसके Intigrated (एकीकृत) पी0डब्लू0एम0यू0 पर ले जाने के लिये किराये पर आवश्यकतानुसार वाहन आदि की व्यवस्था की जायेगी। जिसके लिये आवश्यक व्यय का वहन सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत के केन्द्रीय वित्त के टाइड ग्राण्ट से किया जायेगा। इस निर्णय के लिये जिला स्वच्छता समिति पूर्ण रूप से अधिकृत होगी। व्यवस्थित किये गये वाहन द्वारा विकास खण्ड के सभी ग्राम पंचायतों को तय समय सारणी एवं तय रोस्टर के अनुसार कवर किया जायेगा।

iii–प्रत्येक Intigrated (एकीकृत) पी0डब्लू0एम0यू0 के लिये एक बैंक खाते का संचालन जिला पंचायतराज अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा, जिसका उपयोग विशेष रूप से उस पी0डब्लू0एम0यू0 से अर्जित आय को संरक्षित करने के लिये किया जायेगा। Intigrated (एकीकृत) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट(PWMU) द्वारा केन्द्र के संचालन से प्राप्त आय से यूनिट का संचालन व रखरखाव प्राथमिकता पर कराया जायेगा इसके उपरान्त अवशेष धनराशि का उपयोग सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं वेयर हाउस के लिये आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के निर्धारण एवं अनुश्रवण के लिये भी जिला स्वच्छता समिति पूर्ण रूप से अधिकृत होगी।

इस विकल्प का निम्न फ्लोचार्ट के माध्यम से भी समझा जा सकता है–

1– समस्त ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्लास्टिक का संग्रहण कर ग्राम पंचायतों में स्थापित आर0आर0सी0 पर एकत्र किया जाना।	2– समस्त ग्राम पंचायतों के आर0आर0सी0 से संग्रहित अपशिष्ट प्लास्टिक को उपरोक्तानुसार निर्धारित वाहन द्वारा सम्बन्धित विकास खण्ड पर स्थापित अपशिष्ट प्लास्टिक संग्रहण केन्द्र (वेयर हाउस) पर लाया जाना।	3– विकास खण्ड पर स्थापित वेयर हाउस पर एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट को Intigrated (एकीकृत) पी0डब्लू0एम0यू0 पर उपरोक्तानुसार निर्धारित वाहन द्वारा पहुँचाया जाना।	4– Intigrated (एकीकृत) पी0डब्लू0एम0यू0 से अपशिष्ट प्लास्टिक को यूनिट के लिये व्यवस्थित किये गये वेण्डर की आवश्यकतानुसार प्राप्तेस कराकर वेण्डर यथा रिसायकलर्स/कबाड़ीवाला /PMGSY को विक्रय किया जायेगा तथा आय–व्ययक की व्यवस्थित रिकार्ड कीपिंग की जायेगी।

उपरोक्त **बिन्दु संख्या**–ii व iii में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सभी क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत से फंड का कन्वर्जेन्स किया जाना है यदि इस व्यवस्था के अनुरूप क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत कार्य नही करती है तो उनको दी जाने वाली केन्द्रीय वित्त के फंड पर रोक लगाने हेतु संस्तुति कर दी जायेगी।

विकल्प: 2– निजी एजेन्सी/रिसायकलर/कबाड़ीवाला आदि के द्वारा संचालन:–

जिला स्वच्छता समिति यदि चाहे तो Intigrated (एकीकृत) पी0डब्लू0एम0यू0 के संचालन के लिये किसी निजी एजेन्सी/रिसायकलर/कबाड़ीवाला आदि को अनुबंधित कर सकती है। उस यूनिट से मैप्ड समस्त ग्राम पंचायत के आर0आर0सी0 से प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रीकरण तथा यूनिट पर ला कर निस्तारण करने का समस्त दायित्व उस निजी एजेन्सी/रिसायकलर/कबाड़ीवाला आदि का होगा। यूनिट परिचालन के एक माह उपरान्त मासिक रूप से एक तय निर्धारित धनराशि को यूनिट की आमदनी/आय के रूप में लिया जाये। इस धनराशि का निर्धारण जिला स्वच्छता समिति (डी0एस0सी0) द्वारा संस्था/एजेन्सी से चर्चा करके करना उचित होगा। यदि चाहे तो डी0एस0सी0 इसके अतिरिक्त भी कोई आवश्यक शर्त अनुबन्ध में सम्मिलित कर सकती है। अवगत कराना है कि राज्य स्तर से एजेन्सी का चयन प्रक्रियाधीन है। जिला स्वच्छता समिति अपने स्तर से एजेन्सी के चयन के लिये स्वतन्त्र है। जिसके लिये नियमानुसार तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्रक्योरमेंट मैनुअल, टेण्डर, जेम पोर्टल आदि के लिये निर्गत शासनादेशों का पालन किया जाये। अर्जित आय के लिये बैंक खाते की व्यवस्था एवं यूनिट से मैपड विकास खण्ड स्तर के वेयर हाउस की व्यवस्था विकल्प–01 में बताई गई प्रक्रिया के आधार पर की जा सकती है।

विकल्प 3– जिला पंचायत के द्वारा संचालनः–

जिला स्वच्छता समिति यदि चाहे तो Intigrated (एकीकृत) पी0डब्लू0एम0यू0 का संचालन जिला पंचायत के माध्यम से विकल्प–01 में बताई गई व्यवस्था के अनुसार करा सकती है। जिसमें जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों से अपशिष्ट प्लास्टिक का संकलन प्रबंधन एवं निस्तारण की पूर्ण जिम्मेदारी जिला पंचायत की होगी। जिला पंचायत द्वारा Intigrated (एकीकृत) पी0डब्लू0एम0यू0 स्थापित करने के लिये नियमानुसार तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्रक्योरमेंट मैनुअल, टेण्डर, जेम पोर्टल आदि के लिये निर्गत शासनादेशों का पालन किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में उत्सर्जित हो रहे अपशिष्ट प्लास्टिक का आंकलन करवाते हुए आवश्यकतानुसार Intigrated (एकीकृत) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट (PWMU) की मांग कर ली जाये। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित हो रहे प्लास्टिक अपशिष्ट के लिये पूर्व में जारी Plastic Waste Mangement Rules का पालन करते हुए विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। तदनुसार कार्यवाही कराने हेतु समस्त सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अटल कुमार राय)
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय के साथ कि ग्रामीण क्षेत्र में उत्सर्जित हो रहे अपशिष्ट प्लास्टिक आकलन के अनुसार Intigrated (एकीकृत) पी0डब्लू0एम0यू0 की मांग सुनिश्चित कर लें।

(राज कुमार)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

विकल्पः 3– जिला पंचायत के द्वारा संचालनः–

जिला स्वच्छता समिति यदि चाहे तो Intigrated (एकीकृत) पी0डब्लू0एम0यू0 का संचालन जिला पंचायत के माध्यम से विकल्प–01 में बताई गई व्यवस्था के अनुसार करा सकती है। जिसमें जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों से अपशिष्ट प्लास्टिक का संकलन प्रबंधन एवं निस्तारण की पूर्ण जिम्मेदारी जिला पंचायत की होगी। जिला पंचायत द्वारा Intigrated (एकीकृत) पी0डब्लू0एम0यू0 स्थापित करने के लिये नियमानुसार तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्रक्योरमेंट मैनुअल, टेण्डर, जेम पोर्टल आदि के लिये निर्गत शासनादेशों का पालन किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में उत्सर्जित हो रहे अपशिष्ट प्लास्टिक का आंकलन करवाते हुए आवश्यकतानुसार Intigrated (एकीकृत) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट (PWMU) की मांग कर ली जाये। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित हो रहे प्लास्टिक अपशिष्ट के लिये पूर्व में जारी Plastic Waste Mangement Rules का पालन कराते हुए विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। तद्नुसार कार्यवाही कराने हेतु समस्त सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अटल कुमार राय)
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय के साथ कि ग्रामीण क्षेत्र में उत्सर्जित हो रहे अपशिष्ट प्लास्टिक आंकलन के अनुसार Intigrated (एकीकृत) पी0डब्लू0एम0यू0 की मांग सुनिश्चित कर लें।

(राज कुमार)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

VIKAS SHEEL, IAS
Addl. Secretary & MD (JJM & SBM(G)

National Jal Jeevan Mission
Government of India, Ministry of Jal Shakti
Department of Drinking Water and Sanitation
No. S-16011/2/2022-SBM-DDWS
Dated January 03, 2023

Dear Sir,

Please refer to the DO letter No. 201/PS/APC/2022 dated 26th December 2022 regarding Establishment of Plastic Waste Management Unit (PWMU) in all Blocks and Operation and Maintenance of PWMU. As per the Annual report of CPCB-2019-20, India generates approximately 34,60,780 Tonne of Plastic waste annually. SBMG supports management of plastic waste and its safe disposal through creation of Plastic Waste Management Units at District/Block level in conjunction with programmes of the Urban Development Department.

For forward linkages from PWMUs, DDWS has advised to the States/UTs that Plastic Waste collected may be used for-

- Linkage with Recyclers
- Mixing of shredded plastic with hot bituminous for Road construction
- Disposed of in the Cement kilns as supplementary fuel

2. In so far, the prohibition of manufacturing plastic carry bags lesser than 120 microns with effect from 31st December 2022, as per Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021, it is submitted that there are various types of plastic, such as carry bags which will now be of thickness greater than 120-micron, water bottles, shampoo bottles, plastic sheets, PVC items, plastic packaging materials, etc. It cannot be assumed that all Plastic waste would be recycled automatically in the system. It is important to have a proper system to manage Plastic waste. Hence, the State should set up a system for segregation, collection, and transportation of plastic waste to the PWMU at Block/District level and dispose of it safely from PWMUs by establishing forward linkages.

3. For Operation & Maintenance (O&M) of PWMU, here it is clarified that as per the manual of 15th FC utilization of tied grants to the RLB/PRIs for water & sanitation during the period 2021- to 2025-26 vide Letter no W-11042/ 52/ 2020-JJM.II-DDWS dated 25th August 2021 (Copy enclosed) the Operation and Maintenance (O&M) of multi village Plastic Waste Management Unit can be met from 15th Finance Commission tied grants. Also, as per the SBMG guidelines, O&M has also been provisioned under Business Model/CSR.

4. Regarding the revisiting the establishment of PWMU in each blocks, it is again clarified that based on the requirement, PWMUs can be set up in cluster mode for more than one block within the overall funds availability of such block (Refer letter No S-11011/2/2020-SBM-DDWS, dated 17th January 2022, (letter enclosed).

Warm regards

Yours Sincerely,

(Vikas Sheel)

Shri Manoj Kumar Singh, I.A.S.
Agriculture Production Commissioner &
Additional Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh,
Panchayati Raj, Horticulture and Food Processing,
Bahukhandi Bhawan, Secretariate, Lucknow.

4th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
e-mail : nijm-ddws@gov.in

संख्याः-4009/33-3-2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संलग्नक -5

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज, अनुभाग-3 लखनऊ दिनांकः24 नवम्बर, 2022

विषयः-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत ओ0डी0एफ0 प्लस गतिविधियों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन कराया जाना योजना के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। राज्य सरकार द्वारा भी सिंगल यूस्ड प्लास्टिक को बैन किये जाने तथा प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन एवं प्रयोग को कम करने हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे है।

2- योजनावधि में प्रत्येक विकास खण्ड पर एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी0डब्लू0एम0यू0) की स्थापना की जानी है। प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित निपटान के लिये विकास खण्ड अन्तर्गत ग्रामों से प्लास्टिक अपशिष्ट को एकत्रित कर इस यूनिट के माध्यम से प्रबंधित किया जाना है। मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 के पत्र संख्या-5/90/2022-5/ 46/2021 दिनांक 16.02.2022 के माध्यम से जनपदों को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी0डब्लू0एम0यू0) की स्थापना के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित टूलकिट उपलब्ध कराते हुए गांवों से उत्सर्जित हो रहे प्लास्टिक अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

निकट भविष्य में विकास खण्ड स्तर पर वृहद मात्रा में प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रित होना सम्भावित है। इसके दृष्टिगत शासनादेश संख्या-388/33-2-2022 दिनांक 21.03.2022 के माध्यम से जिला पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए विकास खण्ड पर एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रयोग करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3- ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित हो रहे प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी-

(i) सर्वप्रथम सिंगल यूज प्लास्टिक को ग्रामीण क्षेत्रों में बैन करते हुए इस हेतु जारी उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या- 2893/33-3-2019-154-2014 T.C. दिनांक 10 जनवरी, 2020, संलग्नक-1 पर है तथा पर्यावरण, जल और

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–CG-DL-E-12082021-228947 दिनांक 12.08.2021, संलग्नक–2 पर है, के क्रम में पालन न करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही प्रक्रिया में लायी जाए।

(ii) प्रत्येक राजस्व ग्राम में प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण/एकत्रिकरण के लिये सेग्रीगेशन बिन्स, प्लास्टिक बैंक्स आदि स्थापित कराया जाए तथा ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित कराये जा रहे आर0आर0सी0 सेन्टर में एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण किया जाए।

(iii) प्रत्येक माह में कम से कम 01 बार विशेष अभियान चलाकर सभी स्थानों से जहां प्लास्टिक अपशिष्ट दृश्यमान हो, को एकत्र कर संग्रहण केन्द्र पर पहुंचाया जाए।

(iv) समानान्तर ही विकास खण्ड स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जाए। जिसके लिये विकास खण्ड अथवा विकास खण्ड अन्तर्गत आने वाले किसी गांव को भी चिन्हित किया जा सकता है। यूनिट की स्थापना के लिये आवश्यकतानुसार उचित स्थल का चयन करते हुए 01 शेड का निर्माण कराया जाए, जिसमें एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट को स्टोर किया जा सके तथा अपशिष्ट के रिसायकल/रीयूज हेतु मशीनरी जैसे– श्रेडिंग, बेलिंग, डस्ट रिमूवर, वेयिंग मशीन, वाहन के आने–जाने आदि के लिये पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो।

(v) प्रत्येक विकास खण्ड पर कबाड़ीवाला, निजी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेन्टर, औद्योगिक इकाईयां जो प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करती हों, की सूची तैयार की जाए। जिससे कि फारवर्ड लिंकेज की सुगम व्यवस्था बन सके।

(vi) फारवर्ड लिंकेज हेतु निकटतम उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार ही यूनिट पर मशीनरी का चयन किया जाए।

(vii) विकास खण्ड स्तर पर निर्मित/स्थापित किये जाने वाले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में सभी गांव का क्लस्टर बनाते हुए गांवों से संग्रहित प्लास्टिक अपशिष्ट को यूनिट तक पहुंचाने के लिये मासिक किराये पर कलेक्शन वाहन की व्यवस्था की जाएगी।

(viii) कलेक्शन वाहन का रूट प्लान इस प्रकार से बनाया जाएगा कि प्रत्येक दिन 03 से 04 ग्राम पंचायतों के प्लास्टिक अपशिष्ट को एकत्रित कर यूनिट तक पहुंचाया जा सके। इस व्यवस्था से प्रत्येक ग्राम पंचायत का क्रम लगभग 20 दिवस से 01 माह के बाद द्वितीय बार कलेक्शन के लिये आयेगा। इस दौरान ग्राम पंचायत के आर0आर0सी0 सेन्टर में आवश्यक मात्रा में प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रित कर लिया जायेगा। यह व्यवस्था विकास खण्ड स्तर पर

निर्मित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के निरन्तर प्रभावी संचालन व उपयोगिता को सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

(ix) प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट निर्मित कराये जाने हेतु श्रेडिंग, बेलिंग, डस्ट रिमूवर आदि मशीन के स्पेशिफिकेशन तथा 1500 वर्ग फीट क्षेत्रफल का एक लो–कास्ट शेड का डिजाइन व एस्टीमेट पत्र के साथ संलग्नक–3 पर हैं, जिसमें जनपद अपनी आवश्यकता के अनुसार यथावश्यक बदलाव करा सकते हैं।

वित्तीय व्यवस्था–

(x) ग्राम स्तर पर सेग्रीगेशन बिन्स, प्लास्टिक बैंक्स तथा आर0आर0सी0 सेन्टर आदि की व्यवस्था गांव को मिलने वाले स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के एस0एल0डब्ल्यू0एम0 मद एवं 15वें वित्त की धनराशि से की जाएगी।

(xi) विकास खण्ड स्तर पर स्थापित/निर्मित किये जाने वाले यूनिट के शेड, मशीनरी आदि की व्यवस्था स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 अन्तर्गत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिये निर्धारित रू0 16 लाख प्रति यूनिट की धनराशि से की जाएगी।

(xii) यूनिट स्थापित कराने के लिये कनेक्टिंग रोड/विद्युत/पानी कनेक्शन आदि की व्यवस्था में यदि एस0बी0एम0 से उपलब्ध रू0 16 लाख के अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति क्षेत्र/जिला पंचायत को उपलब्ध 15वें वित्त की टाईड ग्राण्ट से की जाएगी।

(xiii) ग्राम पंचायतों से प्लास्टिक वेस्ट एकत्रित कर यूनिट तक पहुचाने वाले कलेक्शन वाहन की व्यवस्था किसी एजेन्सी द्वारा मासिक किराये पर की जायेगी। जिसके लिये प्लास्टिक वेस्ट यूनिट से अर्जित आय अथवा क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत के 15वें वित्त में रख–रखाव व संचालन के लिये उपलब्ध धनराशि से किया जाएगा।

(xiv) यदि किसी विकास खण्ड पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिये मात्राकृत रू0 16 लाख की धनराशि (एस0बी0एम0जी0) का पूर्ण उपभोग नहीं हो पाता है तो शेष धनराशि जनपद अन्तर्गत अन्य विकास खण्डों की यूनिट एस्टेब्लिशमेंट पर व्यय की जा सकती है।

4– इस प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट निर्मित कराये जाने का दायित्व जनपद की जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति का होगा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का संचालन बिजनेस मॉडल पर विकसित किया जाना श्रेयस्कर होगा। जिसके लिये जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में कार्य करने वाली अनुभवी एवं दक्ष एजेन्सियों का चयन भी कर सकती है। यूनिट के संचालन के लिये मैनपावर एवं

रख–रखाव पर आने वाले व्यय का वहन यूनिट द्वारा अर्जित आय से किया जाना उचित होगा। यूनिट का समुचित संचालन/ रख–रखाव एवं अनुश्रवण विकास खण्ड स्तर पर गठित विकास खण्ड स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति के माध्यम से कराया जा सकता है।

5– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट का उपरोक्तानुसार समुचित प्रबंधन कराना सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

24.11.22

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

25.11.22

(अवधेश कुमार खरे)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

पंचायती राज अनुभाग-3

संख्या-31/2020/263(1)/33-3-2020-154/2014 टी.सी.

लखनऊः दिनांक: 20 जुलाई, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनासित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम-2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-29 सन् 2000) की धारा-6 क, 7, 17 और 13-क के अधीन अधिसूचना संख्या-2893/33-3-2019-154/2014 टी0सी0 दिनांक 10.01.2020 (प्रति संलग्न) निर्गत कर दिया गया है।

संलग्नकः-यथोक्त।

राकेश कुमार,
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, पंचायती राज/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित को अपने स्तर से प्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०-डब्लू/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

रूप-संख्या-4 (ख)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 10 जनवरी, 2020
पौष 20, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज विभाग अनुभाग–3

संख्या 2893/33-3-2019-134-2014टी०सी०
लखनऊ, 10 जनवरी, 2020

अधिसूचना

पत्रांक–22

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन 2000) की धारा 5 क, 7, 17 और 13क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल–

(क) अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित राज्य के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अधीन आने वाले क्षेत्रों में 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैगों और 50 माइक्रोन उससे अधिक माइक्रोन के पश्चात के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों, जिसमें विनिर्माता का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या न हो, के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रतिषिद्ध करती हैं।

(ख) अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित राज्य के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अधीन आने वाले क्षेत्रों में एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कपों, ग्लासों, प्लेटों, चम्मचों, टम्बलरों इत्यादि के उपयोग, विनिर्माण, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को, दिनांक 15 अगस्त, 2018 से प्रतिषिद्ध करती हैं।

(ग) अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित राज्य के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अधीन आने वाले क्षेत्रों में समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य पालीथिन कैरी बैगों के उपयोग, विनिर्माण, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 से प्रतिषिद्ध करती हैं।

(घ) अधिनियम में यथा उपबंधित स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य, अपनी–अपनी अधिकारिता क्षेत्रों के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रदत्त करती हैं–

(एक) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट और उपजिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

[illegible]

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

(दो) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहायक पर्यावरण अभियंता, वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियंता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अवर अभियंता और वैज्ञानिक सहायक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।

(तीन) निदेशक, पर्यावरण, उप निदेशक पर्यावरण और सहायक निदेशक, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश।

(चार) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(पांच) समस्त उप/सहायक खाद्य और रसद अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(छः) समस्त प्रभागीय वन अधिकारी, उप प्रभागीय अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश।

(सात) समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार, उत्तर प्रदेश।

(आठ) समस्त पर्यटन अधिकारी और सहायक पर्यटन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(नौ) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी और खाद्य निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(दस) समस्त खाद्य एवं सुरक्षा निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सहायक प्रबंधक, अवर अभियंता और उससे ऊपर के समस्त अधिकारीगण।

(ख) अपराधों का शमन करने वाले अधिकारियों द्वारा वसूल की जाने वाली निम्नलिखित शमन फीस विनिर्दिष्ट है:-

क्रमांक (क)	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	धनराशि रुपये में
1	2	3
1	100 ग्राम तक	1,000
2	101 ग्राम–500 ग्राम	2,000
3	501 ग्राम–1 किलोग्राम	5,000
4	1 किलोग्राम–5 किलोग्राम	10,000
5	5 किलोग्राम से अधिक	25,000
ख	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/छावों औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसरों के भीतर और सड़कों, पार्कों, नालों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना।	25,000
ग	व्यक्तियों द्वारा किसी निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/छावों औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, पार्कों, नदियों, झीलों, सार्वजनिक पार्कों, वन क्षेत्रों और समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना।	

(ग) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 के अधीन गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरण की, पूर्वोक्त अधिनियम में यथा उपबन्धित स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य प्रदत्त करती है;

(घ) यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभिग्रहीत सामग्री का निस्तारण, पुनः उपयोगकर्ताओं या पुनः प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से सौहार्दपूर्ण रीति से किया जायेगा।

1. एतद्पूर्व यथा प्रकाशित के सिवाय यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
अनीता सिंह,
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

In pursuance of the provisions of clause (2) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 289/XXXIII-3-2019-154-2014-TC, dated January 10, 2020 for general information :

No. 289/XXXIII-3-2019-154-2014-TC
Dated Lucknow, January 10, 2020

In exercise of the powers under sections 6A, 7, 12, and 13 of the Uttar Pradesh Plastic and other Non-Biodegradable Garbage (Regulation of use and disposal) Act, 2000 (U.P. Act no. 29 of 2000) the Governor is pleased to,-

(a) prohibit in areas falling in a Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat of the State constituted under Article 243Q, the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of plastic carry bags of thickness less than 50 microns and disposable plastic carry bags of thickness 50 microns or above not having the name and registration number of manufacturer with effect from the date of the publication of this notification in the Gazette.

(b) prohibit in areas falling in a Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat of the State constituted under Article 243Q, the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of cups, glasses, plates, spoons, tumblers, etc made up of plastic or thermocol disposable after one time use with effect from August, 15, 2018.

(c) prohibit in areas falling in a Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat of the State constituted under Article 243Q, the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of all kinds of disposable plastic carry bags with effect from October, 11, 2019.

(d) confer such powers and duties of Local Authority as provided in the Act on the following officers in the areas of their jurisdiction-

(1) All the District Magistrates, Additional District Magistrates and sub-Divisional Magistrates in Uttar Pradesh.

(2) Member Secretary, State Pollution Control Board, All the Environmental Engineer, Scientific Officers, Assistant Environmental Engineer, Assistant Scientific Officers, Junior Engineer, and Scientific Assistant of State Pollution Control Board in Uttar Pradesh.

(3) Director, Environment, Deputy Director Environment, and Assistant Director Environment in Uttar Pradesh.

(4) All the Chief Medical Officers and Medical Officers in Uttar Pradesh.

(5) All the Deputy/Assistant goods and Services Tax Officers in Uttar Pradesh.

(6) All the Divisional Forest Officers, Sub-Divisional Officers and Range Officers in Uttar Pradesh.

(7) All the Tehsildars and Naib Tehsildars in Uttar Pradesh.

(8) All the Tourism Officers and Assistant Tourism Officers in Uttar Pradesh.

(9) All the District Supply Officers and Food Inspectors in Uttar Pradesh.

(10) All the Food and Safety Inspectors of Uttar Pradesh.

(11) All the Officers of rank Assistant Manager, Junior Engineer and above in Industrial Development Authorities in Uttar Pradesh.

(e) specify as under, composition fee to be realized by the officers compounding the offences-

Sr No. (A)	Quantity of prohibited variety of disposable polythene carry-bags, plastic and thermocol items	Amount in Rupees
1	upto 100 gms	1,000
2	101 gms-500 gms	2,000
3	501 gms-1 kg	5,000
4	1 kg-5 kg	10,000

3	3 More than 3 kg	25,000
(B)	(B) Littering of plastic waste by any institution/commercial institution/ commercial establishment/educational institutions/offices/hotels/shops/restaurants/sweetshops/dhabas/ industrial establishments/banquet halls etc. within premises and on roads, streets, drains, rivers, lakes, ponds, forest areas, public parks, all public places etc.	25,000
(C)	Littering of plastic waste by individuals in the premises of any private or commercial establishments like educational institutions, offices, hotels, shops, restaurants, sweet shops, dhabas, industrial establishments, banquet halls etc. and on roads, streets, rivers, lakes, public parks, forests area and all public places etc.	

(i) confer such powers and duties of local Authority as provided in the aforesaid Act, on the Industrial Development Authority, constituted under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976.

(j) specify that the material seized under the provisions of the said Act shall be disposed of in an environment friendly manner through recyclers or co-processing units.

2. Save as provided here inbefore this Notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette.

By order,
ANITA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० [illegible] राजपत्र–2020–([illegible])–[illegible] प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।

[illegible]

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082021-228947
CG-DL-E-12082021-228947

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2021/श्रावण 21, 1943
No. 459] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2021/SHRAVANA 21, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 571(अ).—प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को संशोधन करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 189 (अ) द्वारा तारीख 11 मार्च, 2021 में प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी लोगों से, जो उन नियमों से प्रभावित हो सकते हैं, उक्त प्रारूप नियम को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप नियमों को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 11 मार्च, 2021 को उपलब्ध कराई गई थीं;

और, उपर्युक्त अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 कहा है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों को कहा गया है) में, नियम 2 में, उप-नियम (1) में, "आयातकों" शब्द के पश्चात् "ब्रान्ड स्वामी, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता (पुनर्चक्रक, सह-प्रसंस्करणकर्ता आदि)" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा।

उक्त नियमों में, नियम 3 में –

(i) खंड (ढ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

'(ढ क) "बिना बुने प्लास्टिक बैग" – से अभिप्रेत है जो यांत्रिक अथवा थर्मल अथवा रासायनिक साधनों द्वारा एक-साथ बंधे हुए जटिल प्लास्टिक फाइबरों या तंतुओं (और छिद्रित फिल्मों द्वारा) की प्लास्टिक की शीट अथवा वेब आकार के कपड़े से बने हुए बिना बुने प्लास्टिक के बैग और "बिना बुने कपड़े" से अभिप्रेत है जिसमें एक समतल अथवा गुच्छेदार छिद्रयुक्त शीट जो सीधे प्लास्टिक फाइबरों, पिघले हुए प्लास्टिक अथवा प्लास्टिक की फिल्मों से बनाया जाता है;

(ii) खंड (थ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

'(थ क) "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण" – से अभिप्रेत है जिससे कोई ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट को पुन:उपयोग, पुनर्चक्रण, सह-प्रसंस्करण अथवा नए उत्पादों में परिवर्तन के प्रयोजन के लिए प्रबंधित किया जाता है; ';

(iii) खंड (फ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

'(फ क) "एकल प्रयोग प्लास्टिक से बनी वस्तु" का अर्थ है – जिससे प्लास्टिक की मद, जिसके निपटान अथवा पुनर्चक्रण से पहले उसे एक ही प्रयोजन के लिए एक बार ही उपयोग किया जाता है;

(फ ख) "थर्मोसेट प्लास्टिक" से अभिप्रेत है जिसमें ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर अपरिवर्तनीय रूप से कठोर हो जाता है और इसलिए इसे वांछित आकार में नहीं बदला जा सकता है;

(फ ग) "थर्मोप्लास्टिक" से अभिप्रेत है जिसमें ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर नरम हो जाता है और इसे वांछित आकार में ढाला जा सकता है;'

4. उक्त नियमों में, नियम 4 में –

(क) उप-नियम (1) में, - (i) "आयातक भंडारण" शब्दों के स्थान पर "आयात, भंडारण" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) में, "पचास माइक्रोन की मोटाई", शब्दों के स्थान पर, शब्द आंकडे, अक्षर और कोष्ठक "30 सितम्बर 2021 से पचहत्तर माइक्रोन की मोटाई और 31 दिसम्बर, 2022 से एक सौ बीस (120) माइक्रोन की मोटाई" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ज), "कैरी बैगों", शब्दों के बाद, "और वस्तु" शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे;

(iv) खंड (ज), "कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों", शब्दों के बाद, "या वस्तु या दोनों" शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे;

(v) खंड (झ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(ञ) 30 सितम्बर, 2021 की तारीख से गैर-बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम नहीं होगा।";

(ख) उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(2)" 1 जुलाई, 2022 की तारीख से पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया जाएगा:-

(क) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री;

(ख) प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर।

(3) उप-नियम (2) (ख) के उपाबंध, कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे।

(4) इस अधिसूचना के बाद कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या समान प्रकार की सामग्री या प्लास्टिक शीट और बहु-परतीय पैकेजिंग से बने कवर और पोलिस्टाइरीन और विस्तारित पोलिस्टाइरीन, वस्तुओं सहित एकल प्रयोग के प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय और उपयोग को निषिद्ध करने के संबंध में, जारी की गई कोई भी अधिसूचना, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दस वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात लागू होगी।

5. उक्त नियमों में, नियम 5 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (घ) में "2000" अंकों के स्थान पर "2016" रखा जाएगा।

6. उक्त नियमों, में, नियम 6 में, उप-नियम (2) में, खण्ड (क) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क क) सुनिश्चित करना कि इन यथा संशोधित नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जाए।

7. उक्त नियमों में नियम 7 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (क) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क क) सुनिश्चित करना कि इन यथा संशोधित नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जाए।

8. उक्त नियमों में, नियम 9 में, उप-नियम (1) में, "संबंधित स्थानीय निकाय" शब्दों के पश्चात, "इन नियमों के अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

9. नियम 11 में, उप-नियम (1), -

(i) "प्लास्टिक कैरी बैग" शब्दों के पश्चात, "प्लास्टिक पैकिंग" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (क) में "विनिर्माता" शब्द के पश्चात, "उत्पादक" या ब्रैंड स्वामी" शब्द जोड़े जाएंगे, और "कैरी बैग" शब्द के बाद, "और ब्रैंड के स्वामी द्वारा उपयोग प्लास्टिक पैकिंग" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (ख), "बहु-परतीय पैकिंग" शब्दों के पश्चात, "आयातित सामग्री के लिए उपयोग बहु-परतीय पैकिंग को छोड़कर" अंत:स्थापित किया जाएगा।

(iv) खंड (ग) में, "नाम और प्रमाणपत्र सं." शब्दों के पश्चात, "उत्पादक का" अंत:स्थापित किया जाएगा।

10. नियम 12 में, -

(i) उप-नियम (2) में, "अपशिष्ट जनक" शब्दों के पश्चात, "पर प्रतिबंध या निषेध" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (3) में, "अपशिष्ट जनक" शब्दों के पश्चात, "पर प्रतिबंध या निषेध" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

11. नियम 13, में उप-नियम (1) में, "संबंधित संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के पश्चात, "या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" अंत:स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 17-2/2001(पार्ट)पार्ट I-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 320(अ) तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इनमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285(अ) तारीख 27 मार्च, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2021

G.S.R. 571(E).—Whereas the draft rules to amend the Plastics Waste Management Rules, 2016, were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 11th March, 2021 vide notification number GSR 169 (E), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public on the 11th March, 2021;

And whereas, objections and suggestions received within the aforesaid period have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of Environment (Protection) Act 1986, (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely :-

1. (1) These rules may be called Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Plastic Waste Management Rules,2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), after the word "Importers", the words, "brand-owner, plastic waste processor (recycler, co-processor, etc.)" shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 3,

(i) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely :-

'(na) "Non-woven plastic bag" means Non-woven plastic bag made up of plastic sheet or web structured fabric of entangled plastic fibers or filaments (and by perforating films) bonded together by mechanical or thermal or chemical means, and the "non-woven fabric" means a flat or tufted porous sheet that is made directly from plastic fibres, molten plastic or plastic films;'

(ii) after clause (q), the following clause shall be inserted, namely: -

'(qa) "Plastic waste processing" means any process by which plastic waste is handled for the purpose of reuse, recycling, co-processing or transformation into new products;'

(iii) after clause (v), the following clauses shall be inserted, namely: -

'(va) "Single-use plastic commodity" mean a plastic item intended to be used once for the same purpose before being disposed of or recycled;'

'(vb) "Thermoset plastic" means a plastic which becomes irreversibly rigid when heated and hence cannot be remoulded into desired shape;'

'(vc) "Thermoplastic" means a plastic which softens on heating and can be moulded into desired shape;'.

4. In the said rules, in rule 4, -

(a) in sub-rule (1),–

(i) for the words "importer stocking", the words "import, stocking" shall be substituted;

(ii) in clause (c), for the words "fifty microns in thickness" , the words, figures, letters and brackets "seveaty five microns in thickness with effect from the 30th September, 2021and one hundred and twenty (120) microns in thickness with effect from the 31st December, 2022" shall be substituted;

(iii) in clause (h), after the words, "carry bags", the words "and commodities" shall be inserted;

(iv) in clause (h), after the words, "compostable plastic carry bags", the words "or commodities or both" shall be inserted;

(v) after clause (i), following clause shall be inserted, namely: -

" (j) non-woven plastic carry bag shall not be less than 60 Gram Per Square Meter (GSM) with effect from the 30th September, 2021.";

(b) after sub-rule (1), the following sub-ules shall be inserted, namely:-

"(2) The manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of following single-use plastic, including polystyrene and expanded polystyrene, commodities shall be prohibited with effect from the 1st July, 2022:-

(a) ear buds with plastic sticks, plastic sticks for balloons, plastic flags, candy sticks, ice-cream sticks, polystyrene [Thermocol] for decoration;

(b) plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, wrapping or packing films around sweet boxes, invitation cards, and cigarette packets, plastic or PVC banners less than 100 micron, stirrers.

(3) The provisions of sub-rule (2) (b) shall not apply to commodities made of compostable plastic.

(4) Any notification prohibiting the manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of carry bags, plastic sheets or like, or cover made of plastic sheets and multi-layered packaging and single-use plastic, including polystyrene and expanded polystyrene, commodities, issued after this notification, shall come into force after the expiry of ten years, from the date of its publication".

5. In the said rules, in rule 5, in sub-rule (1), in clause (d), for the figures "2000", the figures "2016" shall be substituted.

6. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (2), after clause (a), following clause shall be inserted, namely: -

"(aa) ensuring that the provisions of these rules, as amended, are adhered to;".

7. In the said rules, in rule 7, in sub-rule (1), after clause (a), following clause shall be inserted, namely : -

"(aa) ensuring that the provisions of these rules, as amended, are adhered to;".

8. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (1), after the words, "local body concerned", the words "as per guidelines issued under these rules from time to time" shall be inserted.

9. In rule 11, sub-rule (1), –

(i) after the words "plastic carry bag", the words, "plastic packaging" shall be inserted;

(ii) in clause (a), after the word "manufacturer", the words "producer or brand-owner" shall be inserted, and after the words "carry bag", the words "and plastic packaging used by the brand owner" shall be inserted;

(iii) in clause (b), after the words "multilayered packaging", the words "excluding multi-layered packaging used for imported goods" shall be inserted;

(iv) in clause (c), after the words "name and certificate number", the words "of producer" shall be inserted.

10. In rule 12, –

(i) in sub-rule (2), after the words "waste generator," ,the words "restriction or prohibition on" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (3), after the words "waste generator," ,the words "

restriction or prohibition on" shall be inserted.

11. In rule 13, in sub-rule (1), after the words "Union Territory concerned", the words "or the Central Pollution Control Board" shall be inserted.

[F. No. 17-2-2001 (Pt)-Part I -HSMD]

NARESH PAL GANGAWAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 320 (E), dated the 18th March, 2016 and subsequently amended vide notification number GSR 285 (E), dated the 27th March, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिये एक लो–कॉस्ट शेड का निर्माण (30 फीट X 50 फीट) में प्रस्तावित है।

1. नीव में बेस कंक्रीट 1:6:12 सीमेन्ट, फाइन सैण्ड व 40 एम०एम० ब्रिक बैलास्ट के साथ।
2. नीव में चिनाई कार्य एम 150 ब्रिक्रवर्क 1:6 सीमेन्ट व फाइन सैण्ड के साथ।
3. बाहरी दीवारों में चिनाई कार्य एम 150 बिकवर्क 1:4 सीमेन्ट व कोर्स सैण्ड के साथ।
4. स्मूथ सरफेस पर 12 एमएम मोटाई का प्लास्टर का प्राविधान चिनाई कार्य में किया गया है।
5. शेड निर्माण में माईल्ड स्टील के कॉलम्स एवं जी0आई0 शीट का प्राविधान किया गया है।
6. फ्लोर में 10 एमएम मोटी ब्रिक ब्लास्ट एवं 05 एमएम सीमेन्ट कंक्रीट लेयर का का प्राविधान किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में दरों का प्राविधान अधीक्षण अभियन्ता उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग /अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग मंडल कानपुर की दर अनुसूची के अनुरूप किया गया है। प्रस्तुत प्राक्कलन में जिस मटेरियल की दर लोक निर्माण विभाग दर अनुसूची में नहीं है, उसे बाजार मूल्य पर लिया गया है। तैयार किये गये प्राक्कलन की लागत 06.25 लाख रूपये है। प्रस्तावित समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग की विस्तृत विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराये जाने का प्राविधान प्रस्तुत प्राक्कलन में रखा गया है।

[illegible]
उप निदेशक (तक0)
जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक
पंचायती राज, उ0प्र0 शासन

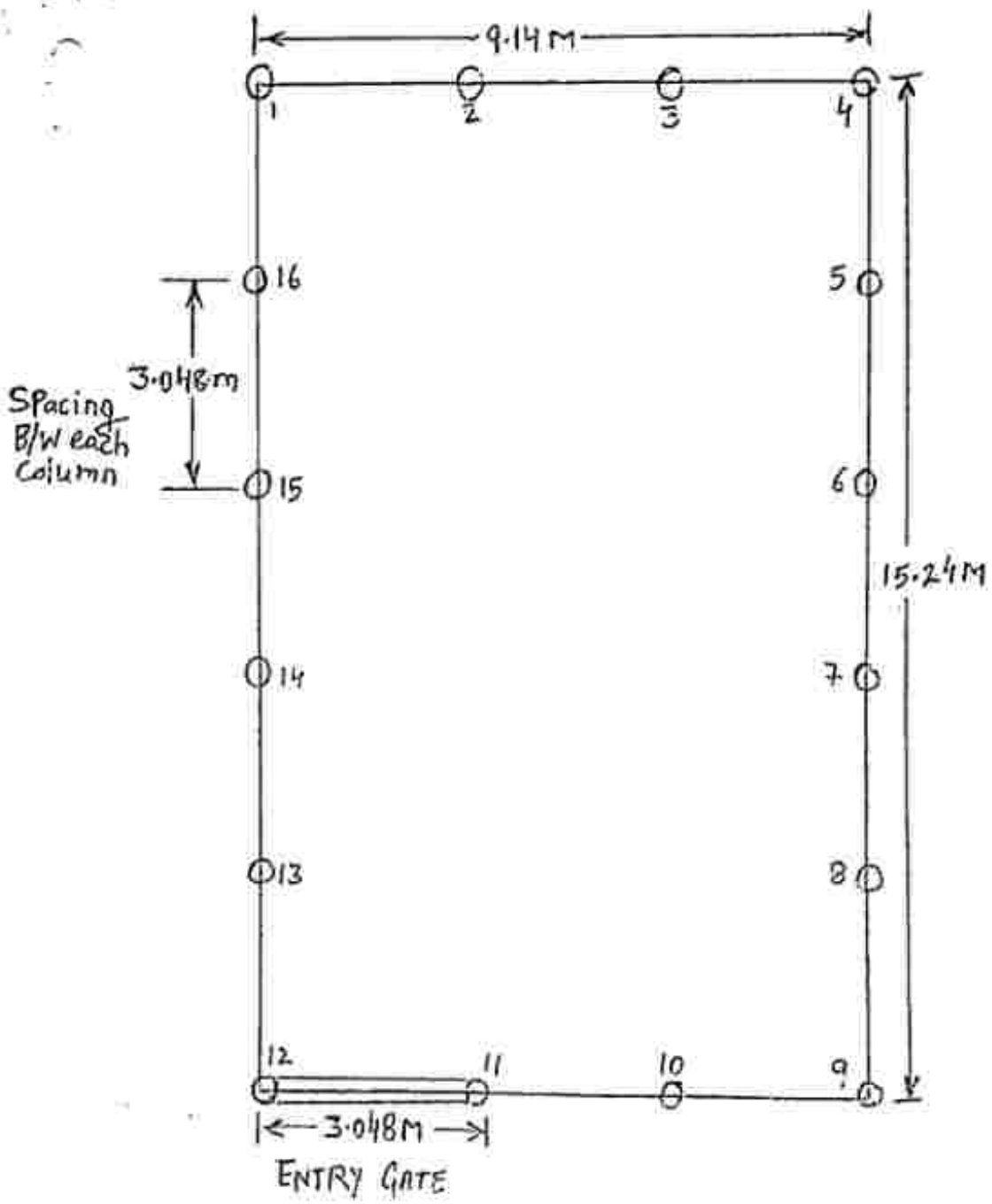

PLASTIC WASTE MANAGEMENT CENTRE, LAYOUT/ PLAN WITH
AREA → 9.14M X 15.24M
IRON PIPE → 16 Nos.

(प्रदीप कुमार)
उप निदेशक (तक०)
जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ
पंचायती राज, उ०प्र० शासन

TRUSS AND COLUMN ELEVATION (PWMU) WITH FOOTING

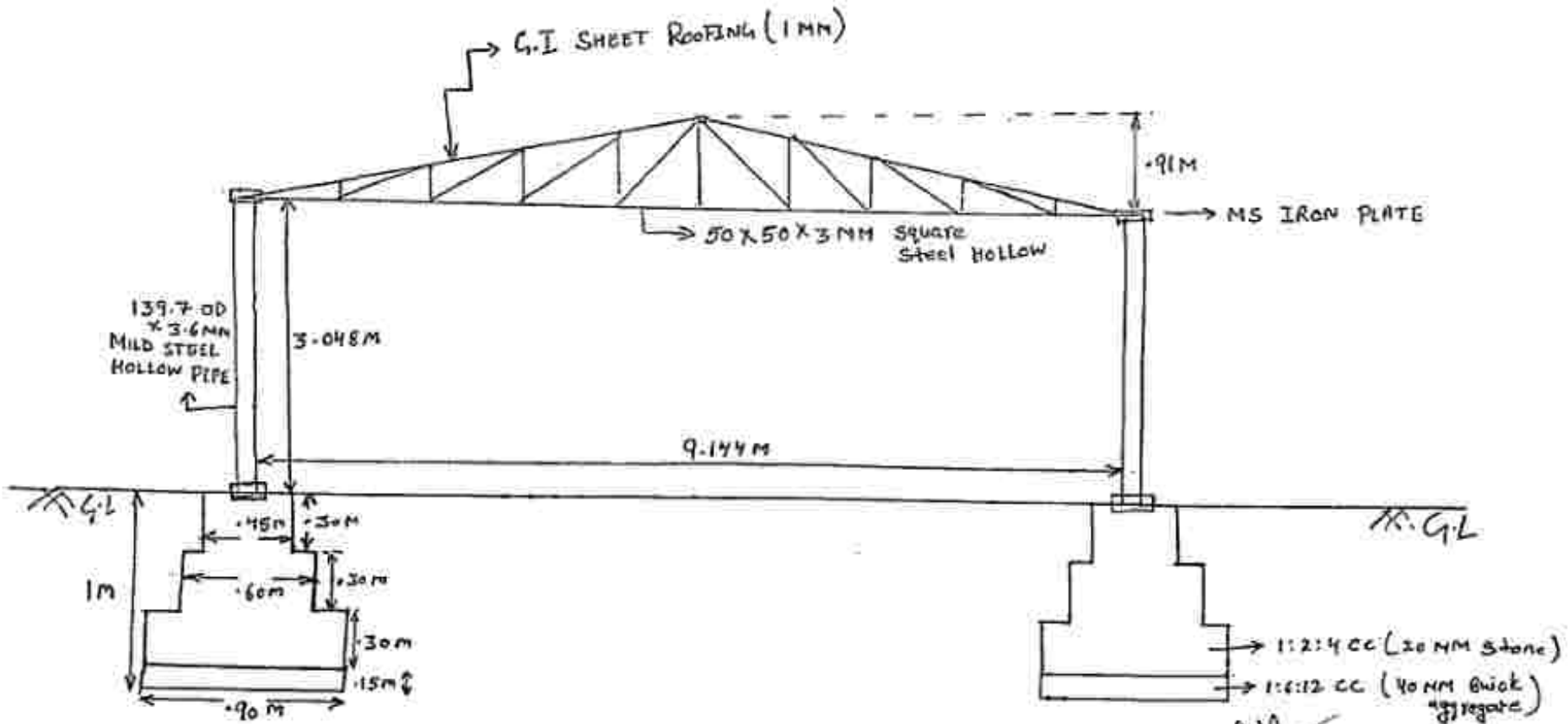

(NOT TO SCALE)

(प्रवीण कुमार)
उप निदेशक (शहरी)

BRICK WORK AND FLOOR DETAILS (PWMU)
NOT to SCALE

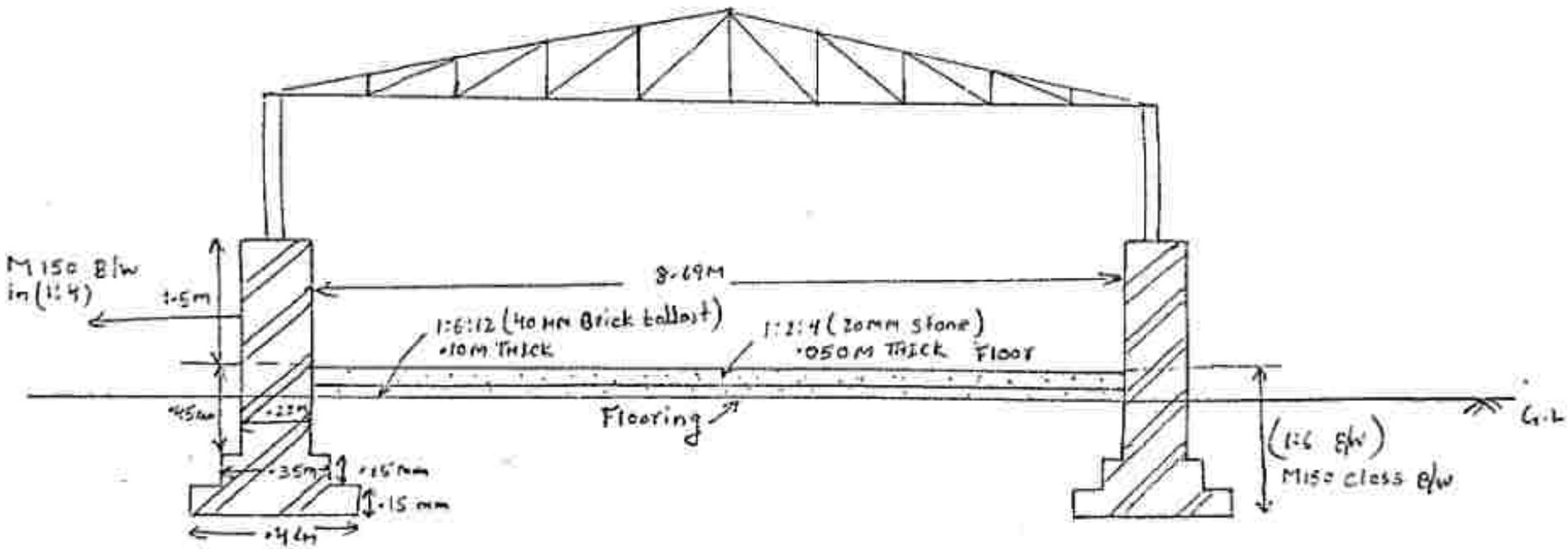

(प्रवीण कुमार)
उप निदेशक (पंचा०)
जिला पंचायत

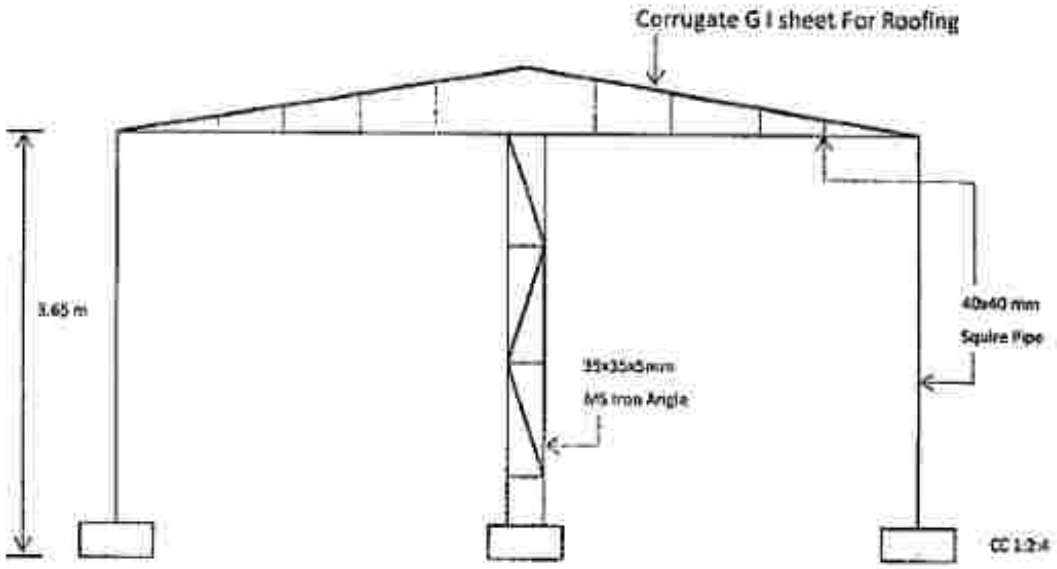

(प्रवीण कुमार)
उप निदेशक (तक०)
जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक
पंचायती राज, उ०प्र० शासन

Detail of Mesuerement

Construction of PWMU Unit Shed

S.No.	Particulars	No.			Length	width	H/Depth	Quantity	Unit
1	E/W in excavation in trenches for found. Pipes cable etc in ordinary soil i/c lift upto 1.5 m. Lead upto 50 m and dressing of of sides and ramming of bottom and disposal of surplus excavated earth as directed by E/I within a lead of 50m. S.I. No. 251								
	Tin Shed	1	x	16	0.90	0.90	0.90	11.66	cum
		1	x	2	15.62	0.60	0.60	11.25	cum
		1	x	2	8.32	0.60	0.60	5.99	cum
							Total	28.90	cum
2	P/L of cement concrete 1:6:12(1 cement : 6 fine sand : 12 graded brick aggregate 40mm nominal size) and curing complete i/c cost of formwork in foundation and floors as per S.I.No. 273								
		1	x	16	0.90	0.90	0.15	1.94	cum
		1	x	2	15.62	0.60	0.10	1.87	cum
		1	x	2	8.32	0.60	0.10	1.00	cum
	Floor	1	x	1	14.79	8.69	0.10	12.85	cum
							Total	17.67	cum
	dedution	1	x	16	0.60	0.60	0.10	0.58	cum
							Total	17.09	cum
3	Laying of CC 1:2:4 cement, c/sand & 20mm S/Ballast mortar i/c all the complete work								
		1	x	16	0.90	0.90	0.30	3.89	cum
		1	x	16	0.60	0.60	0.30	1.73	cum
		1	x	16	0.45	0.45	0.30	0.97	cum
		1	x	1	14.79	8.69	0.050	6.43	cum
							Total	13.01	cum
4	Providing and laying of Corrugate G I sheet Roofing i/c all the complete work (1mm) As per MR								
		1	x	2	15.25	4.95		150.98	sqm
		1	x	1	15.25	0.30		4.58	sqm
							Total =	155.56	sqm
5	S/Fixing of mild steel squire Hollow Pipe								
	139.7 OD X 3.6MM	1	x	16	3.05			48.80	Rm
				1	48.80	12.10 kg/Rm		590.48	Kg
	50 X 50 X 3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW	1	x	6	9.15			54.90	Rm
		2	x	6	4.65			55.80	Rm
		6	x	4	0.30			7.20	Rm
		6	x	4	0.45			10.80	Rm
		6	x	4	0.75			18.00	Rm
		6	x	4	0.90			21.60	Rm
		6	x	6	1.20			43.20	Rm
		1	x	6	0.90			5.40	Rm
								216.90	Rm
				1	216.90	4.39 kg/Rm		952.19	Kg
							Total =	1542.67	Rm
	M/S Iron Plate	4	x	14	0.20	0.20	31.40	70.34	Kg
							G. Total	1613.01	Kg

							Total =	**1542.67**	**Rm**
	M/S Iron Plate	4	x	14	0.20	0.20	31.40	**70.34**	**Kg**
							G. Total	**1613.01**	**Kg**
6	M150 Class B/w in 1:6 cement and c/sand mortor i/c all the complete work Foundation								
		2	x	1	15.48	0.46	0.15	2.14	cum
		2	x	1	8.46	0.46	0.15	1.17	cum
		2	x	1	15.37	0.35	0.15	1.61	cum
		2	x	1	8.57	0.35	0.15	0.90	cum
		2	x	1	15.25	0.23	0.45	3.16	cum
		2	x	1	8.69	0.23	0.45	1.80	cum
							Total =	**10.77**	**cum**
7	M150 Class B/w in 1:4 cement and c/sand mortor i/c all the complete work Super structure								
		2	x	1	15.25	0.23	1.50	10.52	cum
		2	x	1	8.69	0.23	1.50	6.00	cum
							Total =	**16.52**	**cum**
	deduction	1	x	1	3.00	0.23	1.50	1.04	cum
							Total =	**15.48**	**cum**
8	12mm thick Plaster in 1:4 cement and f/sand mortor i/c all the complete work								
		2	x	1	15.25		1.50	45.75	sqm
		2	x	1	9.15		1.50	27.45	sqm
		2	x	1	14.79		1.50	44.37	sqm
		2	x	1	8.69		1.50	26.07	sqm
							Total =	**143.64**	**sqm**
	deduction	1	x	2	3.00		1.50	9.00	sqm
							Total =	**134.64**	**sqm**
9	S/o MS Iron Angle Gate	1	x	1				1.00	No
10	Provision for Photography			1				1	Job

(प्रवीण कुमार)
उप निदेशक (तक०)
जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक
पंचायती राज, उ०प्र० शारदा

Consumption of material

S.NO	ITEM	Qtty	Cement	C/sand	M 150 Brick	20mm S/B	f/sand	40mm B/B
1	Laying of CC 1:2:4 cement, c/sand & 20mm S/Ballast mortar i/c all the complete work	13.01	86.67	5.86		11.71		
2	P/L of cement concrete 1:6:12(1 cement : 6 fine sand : 12 graded brick aggregate 40mm nominal size) and curing complete i/c cost of formwork in foundation and floors as per S.I.No. 273	17.67	39.93				8.30	17.67
3	M150 Class B/w in 1:6 cement and c/sand mortor i/c all the complete work Foundation	10.77	13.57	2.91	4955.58			
4	M150 Class B/w in 1:4 cement and c/sand mortor i/c all the complete work Super structure	15.48	28.64	4.18	7120.80			
5	12mm thick Plaster in 1:4 cement and f/sand mortor i/c all the complete work	134.64	14.81				2.02	
		Total =	183.63	12.94	12076.38	11.71	10.32	17.67
		Say =	184.00	12.94	12076.00	11.71	10.32	17.67
			Bag	cum	No.	cum	cum	cum

(प्रवीण कुमार)
उप निदेशक (तक०)
जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक
पंचायती राज, उ०प्र० शासन

Bill of quantity

(Material cost)

S.No.	Name of Item	Qtty	Unit	Rate	Amount
1	S/o cement	184.00	Bag	364.80	67123.20
2	S/o C/sand	12.94	cum	2056.20	26607.23
3	S/o f/sand	10.32	cum	1592.00	16429.44
4	S/o 40mm B/Ballast	17.67	cum	1207.50	21336.53
5	S/o 20mm S/Ballast	11.71	cum	2771.20	32450.75
6	Providing and laying of Corrugate G I sheet Roofing i/c all the complete work (1mm) As per MR	155.56	sqm	950.00	147782.00
7	S/Fixing of mild steel squire Hollow Pipe	1613.01	Kg	75.52	121814.29
8	S/o M150 Brick	12076.00	no.	7.14	86222.64
9	S/o MS Iron Angle Gate	1.00	no.	L-S	20000.00
10	Provision for Photography	1	Job	300.00	300.00
				Total =	540066.07

(Labour cost)

S.No.	Name of Item	Qtty	Unit	Rate	Amount
1	E/W in excavation in trenches for found. Pipes cable etc in ordinary soil i/c lift upto 1.5 m. Lead upto 50 m and dressing of of sides and ramming of bottom and disposal of surplus excavated earth as directed by E/I within a lead of 50m. S.I. No. 251	28.90	cum	118.18	3415.87
2	P/L of cement concrete 1:6:12(1 cement : 6 fine sand : 12 graded brick aggregate 40mm nominal size) and curing complete i/c cost of formwork in foundation and floors as per S.I.No. 273	17.67	cum	590.00	10424.89
3	Fixing of mild steel circular Hollow Pipe with CC 1:2:4 cement, C/sand & 20mm S/Ballast Mortar i/c all the complete work.	13.01	cum	840.00	10931.97
4	M150 Class B/w in 1:6 cement and c/sand mortor i/c all the complete work Foundation	10.77	cum	860.00	9264.78
5	M150 Class B/w in 1:4 cement and c/sand mortor i/c all the complete work Super structure	15.48	cum	1160.00	17956.80
6	12mm thick Plaster in 1:4 cement and f/sand mortor i/c all the complete work	134.64	sqm	94.00	12656.16
7	Laying of CC 1:2:4 cement, c/sand & 20mm S/Ballast mortar i/c all the complete work	13.01	cum	1550.00	20172.10
				Total =	84822.58

उप निदेशक (ग्रा०अ०)
जिला पंचायत अनुश्रवण प्रको०
पंचायती राज, उ०प्र० शासन

SUMMARY OF COST

Construction of PWMU Unit Shed

S.No.	Item	Amount
1	Labour Cost	84822.58
2	Material Cost	540066.07
	Total =	**624888.65**
	Say =	**6.25 Lakh**

(प्रवीण कुमार)
उप निदेशक (तक०)
जिला पंचायत अनुश्रवण कोषांक
पंचायती राज, उ०प्र० लखनऊ

Annexure: 2

Specification of Machines for Plastic Waste Recycling

1. Plasticand DryWasteBalingmachine

Description	Technical specifications
Capacity output	300-400 Kg/Hr.
Automation	Automatic
Machine weight	2100 Kg
Chamber length	26"x 22"x 20 "
Feeding mouth	26" x27"
Motor capacity in KW and HP	10 HP
Overall size	4'x3'x 8'
Oil Tank capacity	100-150Lt
Other Features/requirement:	No.of Cylinders-1
	All types of plastics-PET,HDPE,LDPE,Paper,Cloth
	Hydraulic with 40-50 Ton Force
	Bale Weight-50-60Kg, Expected Bales-6 Per hour
	Oil Fill Included
	No. of Box - 1
	Grooves for 3Straps
	Dedicated Control Panels for Push Button operations

2. Hard plastics hredder

Description	Technical specifications
Capacity output	200- 250 Kg/Hour
No of Blades	6
Chamber length	18x 24Inch
Mesh	13 MM
Feeding mouth	24"x 13"x 30"
Motor capacity in KW and HP	20 - 30 HP
Overall size	56" x 72 "x 60 "
Other Features/requirement:	Materials:HDPE, LDPE, PP, ABS,HIPS,NYLON and PC
	Rotor Shaft--Equi. Balanced Shaft
	Blade Size- 18" x 5"
	2spare Mesh Will be provided
	One spare blade will be provided Starter will be provided with over load control
	Dedicated Control Panels for Push Button operations

3. Plasticand Dry waste air blower

Description	Technical specifications
Capacity out put	80-100 Kg
Automation	Automatic
Machine weight	400 Kg
Feeding mouth	15" x 15 "
Motor capacity in KW and HP	10-15 HP
Drum Length & Diameter	Vendor to provide
Overall size	32" x 74"x 55 "
Other Features/requirement:	Materials to use for: All soft Plastics
	Ductto control ejection of cleaned sheet
	Bearing- Pedestal Type
	Rotor-Dynamically Balanced
	Dedicated Control Panels for Push Button operations

Terms and Conditions:

1. The rates shall include for all costs associated with the supply.
2. The supplier will be responsible for protection and insurance of materials, property and equipment in transit, before successful delivery and hand over to implementing agency.
3. One-yearon- site warranty should be available at the delivery location.
4. Supplier to submit the focal point contact details for warranty issues for the duration of warranty period.